न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव आर ए एस

प्रकरण संख्या 1/58/2022

बउनवान

1. पवन पुत्र कंवरचंद जाति राजपूत उम्र करीब 24 साल
2. रवि पुत्र कंवरचंद जाति राजपूत उम्र करीब 26 साल
   निवासीयान न्याणा तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर
3. उषा पुत्री कंवरचंद स्त्री महावीर जाति राजपुत उम्र करीब 28 साल निवासी न्याणा हालवासी डावरी (नौगांवा) तहसील रामगढ़ जिला अलवर

वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. कंवरचंद पुत्र रामकिशन जाति राजपूत उम्र करीब 56 साल निवासी न्याणा तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. उप पंजीयक महोदय, गोविंन्दगढ़ जिला अलवर।
3. तहसीलदार बहैसियत लैण्ड होल्डर गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0

उपस्थितः–

श्री अमृतलाल सैनी– अधिवक्ता वादीगण

श्री सोहनपाल सैनी– अधिवक्ता प्रतिवादीगण

आदेश **दिनांक 11.07.2025**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा इस्तकरारहक, तकसीम एवं स्थायी निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 432 रकबा 0.5816 है0 वाके ग्राम न्याणा तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में स्थित है जो विवादित आराजी है। जिसे आगे चलकर दावा हाजा में आराजी मुतनाजा

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

के नाम से संबोधित किया जा रहा है। यह है कि आराजी मुतनाजा हमारी पुस्तैनी पैतृक सम्पत्ति है। जो बाबा रामकिशन से विरास्त में प्राप्त शुदा सम्पत्ति है। जिसमें हम वादीगण मृतक रामकिशन के पोत्र/पोत्री व प्रतिवादी 1 कंवरचंद के पुत्र होने के कारण हमें आराजी मुतनाजा में कानुनन जन्म से हक व अधिकार प्राप्त है और आराजी मुतनाजा में वादीगण का 3/4 भाग, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 भाग है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को छोटे–छोटे छोड़कर करीब 20 साल पूर्व वादीगण व उनकी मां को त्याग कर दिल्ली चला गया जो दिल्ली में दीगर औरतों के चक्कर में पडकर वही रहता है। ना हमारी साल संभाल करता है और ना ही भरण पोषण करता है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण का पिता है। जो शराबी, जुवारी व अवारा प्रवृति का व्यक्ति है जो उक्त पुस्तैनी आराजी मुतनाजा को बिना किसी नैसर्गिक आवश्यकता दीगर लोग व औरत के चक्कर में आकर रहन बय मुंतकिल करना चाहता है। जिससे मौजूदा दावा प्रतिवादी के विरूद्ध इस्तकरारहक, तकसीम व स्थाई निशेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना लाजमी आया है। अतः वादीगण द्वारा दावा पेश कर आराजी खसरा नं. हाल 432 रकबा 0.5816 है वाके ग्राम न्याणा तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में वादीगण को 3/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए अलग से तकसीम कर लगान व खाताबंदी कायम की जावे तथा हिस्से शुदा आराजी पर दखल दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें वे वादीगण के 3/4 भाग के शांत मय कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने बाबत निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव दावा पेश किया।

प्रतिवादी सं0 1 कंवरचन्द द्वारा एक प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 दिनांक 12.05.2025 को पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नं. हाल 432 रकबा 0.5816 है वाके ग्राम न्याणा तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर बाबत पूर्व में सन् 2002 मे मुकदमा वादीगण की माता ने प्राकृतिक संरक्षक होने

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

से सरपरस्त खुद किया था जिसका उनवान रवि,पवन, उषा बनाम कॅवरचन्द था। रवि सन् 2014, पवन सन् 2016 एवं उषा सन् 2010 में बालिग हो चुके थे। इसी वाद कारण पर मुकदमा नं. 82/2002 रवि वगैरा बनाम कॅवरचन्द वगैरा तत्कालीन न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के यहां पेश किया था। जिसमें रवि की उम्र 6 साल, पवन की 4 साल, उषा की 10 साल लिखी थी। जो दावा 21.06.2007 को अदम पैरवी – अदम हाजिरी में खारिज हुआ था। जिसको नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2007 को लगाया गया। वो प्रार्थना पत्र वादीगण के बालिग होने के बाद 25.05.2017 को अदम पैरवी–अदम हाजिरी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी वादीगण/प्रार्थीगण का थी। तब भी अमृतलाल जी वकील थे। यह मुकदमा विचारण चल रहा है भी अधिवक्ता श्री अमृतलाल जी ने पेश किया है जिसमें पूर्ववर्ती मुकदमें के तथ्य छुपाये गये है। जिसकी जानकारी वादीगण एवं वकील साहब अमृतलाल जी को बखुबी है।

यह है कि आराजी मुतनाजा मिन प्रतिवादी के तन्हा कब्जे काश्त की आराजी हैं जिसका पूरा हक प्रतिवादी का है वादीगण का आराजी से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। जो मुकदमा अधिकारों की घोषणा के लिए किया था। वो खारिज हो चुका है। उसे नम्बर पर लेने का आवेदन पत्र भी खारिज हो चुका है। इतना अरसा बाद दावा बिना किसी वाद कारण के नही लाया जा सकता है। एवं दावा लाने पर कानूनी प्रतिबंध है कानून में इसे पूरी तरह बाधित किया है। जो दावा हस्ब आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में काबिल रिजेक्ट है। बिना वाद कारण यानी पुराने वाद कारण से दुबारा नही लाया जा सकता है। केवल तारीख बदल देने से वाद कारण पैदा नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण का मय खर्चा रिजेक्ट हस्ब आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में रिजेक्ट फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी ने प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का जवाव पेश कर कथन किया कि जब वादीगण नाबालिग थे तो वो अपनी मां

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

की सरपरस्ती में रहते थे मां की जरिये ही अपनी आराजी पर काबिज रहकर कास्त करते और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा हेतु जरिये सरपरस्त मां दावा पेश करने का कानूनन अधिकार है, यदि मां के कारणवश अदालत में हाजिर नही होने पर वह दावा अदम पैरवी में खारिज हो जाता है तो बच्चे बालिग होने पर वह अपने स्वंय के अधिकारों की रक्षा करने हेतु उस दावा के अदम हाजिरी पैरवी में खारिज होने के बाद दावा पेश करने से पाबंद नही है, यदि दावा मैरिट पर निर्णित हो जाता तो उससे पाबंद रहते ना कि मां की अनुपस्थिति में दावा अदम पैरवी–अदम हाजिरी में खारिज होने से पाबंद है ना ऐसा वाद कोई आदेश 7 निमय 11 जा0 दी0 के प्रावधानों के तहत आता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर निवेदन है कि मौजूदा प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। हमने बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र निम्न बिन्दूओं पर तय किया जावेगा–

1. जहॉ वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।
2. जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है।
3. जहॉ वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।
4. जहॉ वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

प्रतिवादी सं. 1/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश तात्का0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के वाद संख्या 1/82/2002 की सत्यापित प्रति, पुनः नम्बर पर लेने के प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2007 की सत्यापित प्रति, आदेशिका उपखण्ड न्यायालय तात्कालिक लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर की सत्यापित प्रति अनुसार अप्रार्थी/वादी रवि पुत्र कॅवरचन्द आयु 6 साल, पवन पुत्र कॅवरचन्द आयु 4 साल, उषा पुत्री कॅवरचन्द आयु 10 साल द्वारा जरिए सरपरस्त मु0 कैलाशो स्त्री कॅवरचंद माता खुद बनाम प्रतिवादी कंवरचंद

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

पुत्र रामकिशन आयु 35 साल द्वारा एक वाद तात्कालिक उपखण्ड न्यायालय लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में वर्ष 2002 में बाबत आराजी खसरा नं. 432 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम न्याणा तहसील ता0 लक्ष्मणगढ़ हाल तह0 गोविन्दगढ़ पेश किया गया। उक्त वाद संख्या 1/82/2002 दिनांक 21.06.2007 को इस प्रकार निर्णीत किया गया– "कई बार आवाज लगायी गयी वादी अथवा वादी के वकील उपस्थित नहीं। प्रतिवादी के वकील उपस्थित। दावा वादी अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अप्रार्थीगण/वादीगण का दावा पुनः नम्बर पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र जो न्यायालय में 17.07.2007(3/14/2007) को पेश किया गया वह भी दिनांक 25.05.2017 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया गया।

सिविल प्रकिया संहिता 1908, आदेश 9 नियम 08 अनुसार "जहॉ वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नही होता है वहॉ न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद को खारिज किया जावे" नियम 09 अनुसार– जहॉ वाद नियम 08 के अधीन पूर्ण या भागतः खारिज कर दिया जाता है वहॉ वादी उसी वाद हेतुक के लिए नया वाद आने से प्रवाहित हो जावेगा। किन्तु वह खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार पड़ी थी उस समय उसकी अनुपंजाति के लिए पर्याप्त हेतुक था तो न्यायालय खर्चो या अन्य बातों के बारें में ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे खारिजी को अपास्त करने का आदेश करेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने लिए दिन नियत करेगा।

स्पष्ट है कि विधि के प्रावधानों के तहत यदि वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है। और वादी उपसंजात नही होता है। वहॉ न्यायालय आदेश करेगा कि वाद खारिज किया जावे एवं इस आधार पर निर्णीत होने के उपरांत वादी उसी वाद हेतुक के लिए नया वाद लाने से प्रवाहित हो जाएगा। दिनांक 21.06.2007 को वादी का वाद इसी आधार पर खारिज किया गया था। पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पर भी दिनांक 25.05.

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

2017 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। वादीगण द्वारा 2002 में सरपरस्ती में पेश दावे में दर्ज उम्र के अनुसार 25.05.2017 के निर्णय के समय वादीगण बालिग हो चुके थे। अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा बहस दौरान पेश नजीर Ramsukharam Vs Gopal & Ors.-2011 RRD 148=2011(1) RRT237=RLW2011(2) RJ 153 उन प्रकरणों लिए है जहॉ वादी एवं प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित होते है (आदेश 9 नियम 4), जो हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होती है। स्पष्ट है वाद वादी विधि द्वारा वर्जित है। अतः प्रतिवादी/प्रार्थी 1 कॅवरचन्द पुत्र रामकिशन का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 स्वीकार किया जाकर दावा वादी वाद संख्या 1/58/2022 अस्वीकार (खारिज) किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

अतः यह आदेश आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)